

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
क्रमांक एफ 11(बी) एफसीए/मुवस/2017/7954
निमित्त,

दिनांक 30-11-2017

उप वन संरक्षक,
भीलवाडा।

विषय:- आर.आर.एस.एम.पी.योजनान्तर्गत पी.डब्ल्यू.डी.शाहपुरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव
बिजौलियाखुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ अन्तर्गत 4.10 है0वनभूमि
प्रत्यावर्तन प्रकरण Rajasthan Road sector modernation
project FP/RAJ/ROAD/20893/2016

संदर्भ :- आपका पत्रांक एफ ()2017-18/उवस/12012 दिनांक 24.11.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित से प्राप्त आर.आर.एस.एम.पी.
योजनान्तर्गत पी.डब्ल्यू.डी.शाहपुरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव बिजौलियाखुर्द से छतरीखेडा वाया
मानगढ अन्तर्गत 4.10 है0वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Rajasthan Road sector
modernation project FP/RAJ/ROAD/20893/2016 के प्रस्ताव की जाँच
किये जाने पर निम्न आक्षेप पाये गये।

1. प्रपत्र I में यूजर एजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रस्ताव की दो प्रतिया ही भिजवायी गयी है। प्रस्ताव की तीन प्रतिया भिजवाये।
3. प्रस्ताव में इन्डेक्स एवं पेज न0 अकिंत नहीं है।

अतः मूल प्रस्ताव लौटाकर लेख है कि आक्षेपो की पूर्ती कर भिजवाये ताकि
प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- मूल प्रस्ताव 2 प्रतियो में।

भवदीय,
(पी.के.उपाध्याय)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।